# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

**मुत0 प्रकरण संख्या 35/2019** **सन् 2019**

**GCMS No.2019/00152**

बउनवानी :–

1. रामदयाल पुत्र देवबक्स
2. गजानन्द पुत्र श्योबक्स
3. शंकर पुत्र श्योबक्स जाति बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार
4. सीताराम पुत्र गोपी
5. हरि पुत्र सांवल्या
6. रामकुंवार पुत्र जगन्या
7. छीतर पुत्र बिशन्या
8. कल्याण पुत्र काना
9. हजारी पुत्र देव्या
10. मथुरा लाल पुत्र मांग्या
11. गंगोल्या पुत्र बिशन्या जाति बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार

**बनाम**

1. आवंटन सलाहकार समिति खण्डार जरिये तहसीलदार खण्डार
2. सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्व आदेश कमांक प.40(97)सह.समिति/राजस्व/ 2000/4632–40 दिनांक 22.12.2000 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर बाबत निरस्त किये जाने )

उपस्थित :–

1. श्री नेमीचन्द बैरवा — वकील प्रार्थीगण
2. श्री अशोक कुमार गोयल — वकील अप्रार्थी संख्या. 2

**–: निर्णय :–** **दिनांक 06.04.2021**

प्रस्तुत प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से रिमाण्ड होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील उभयपक्षों को वास्ते सुनवायी हेतु आगामी पेशी से सूचित किया गया।

प्रकरण में बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा कथन किया कि कृषि सहकारी समिति जयसिंहपुरा तहसील खण्डार को तहसील आवंटन सलाहकार समिति खण्डार द्वारा राजस्थान भू राजस्व सहकारी समितियों को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1959 के अन्तर्गत वर्ष 1959 मे 25 वर्ष की लीज पर ग्राम जयसिंहपुरा में स्थिति राजकीय कृषि भूमि ख0न0 6 रकबा 30.13 बीघा ख0न0 16 रकबा 19.13 बीघा, ख0न0 17 रकबा 4.15 बीघा, ख0न0 19 रकबा 74.14 बीघा, ख0न0 32 रकबा 33.12 बीघा, कुल किता 5 कुल रकबा 163.02 बीघा भूमि संयुक्त रूप से कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी, किन्तु जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश क्रमांक प.40(97)सह.समिति/राजस्व/2000/4632–40 दिनांक 22.12.2000 से उक्त सहकारी समिति को आवंटित उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि का नामा0 राज्यपक्ष में खुलवाने के आदेश किया गया। इसके उपरान्त उक्त भूमि मे से ख0न0 19 रकबा 74.14 बीघा मे से 30 बीघा भूमि गौण मण्डी खण्डार के नवीन मण्डी यार्ड के निर्माण हेतु ग्राम जयसिंहपुरा तहसील खण्डार मे आवंटित की गयी जबकि उक्त भूमि आवंटन से लेकर आदिनांक तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:46:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जेकाश्त मे चली आ रही है। किन्तु जिला कलेक्टर द्वारा स्वतंत्र ऐजेन्सी जॉच करवाये बिना मात्र सहकारी समिति एवं तहसीलदार खण्डार की जॉच रिपोर्ट के आधार प प्रार्थीगणो को सुनवायी व साक्ष्य सबूत अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश दिनांक 22.12.2000 पारि कर कृषि सहकारी समिति जयसिंहपुरा को आवंटित उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया है जिसक खारिज फरमाया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि कृषि सहकारी समिति जयसिंहपुरा तहसील खण्डार को तहसील आवंटन सलाहकार समिति खण्डार द्वारा राजस्थान भू राजस्व सहकारी समितियों को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1959 के अन्तर्गत वर्ष 1959 मे 25 वर्ष की लीज पर ग्राम जयसिंहपुरा स्थिति राजकीय कृषि भूमि ख0न0 6 रकबा 30.13 बीघा ख0न0 16 रकबा 19.13 बीघा, ख0न0 17 रकबा 4.15 बीघा, ख0न0 19 रकबा 74.14 बीघा, ख0न0 32 रकबा 33.12 बीघा, कुल किता 5 कुल रकबा 163.02 बीघा भूमि संयुक्त रूप से कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। तहसीलदार खण्डार एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त सहकारी समिति अवासयन मे आ जाने एवं भूमि का उपयोग संयुक्त रूप से सहकारी समिति के रूप मे नही कर सहकारी समिति के सदस्यो द्वारा व्यक्तिगत हित में उपयोग करने बाबत रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त संबंध में सार्वजनिक सूचना संख्या एफ.40(97)सहकारी/राजस्व/2000/3050–56 दिनांक 29.8.2000 जारी कर प्रार्थीगणों से आपत्ति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी। परन्तु किसी भी प्रार्थीगण/सोसायटी के सदस्य द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी एवं समिति द्वारा आवंटन शर्तो का उलघंन किया जाना पाये जाने एवं वर्तमान में समिति अस्तित्व मे नही होने के कारण जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश क्रमांक प.40(97)सह.समिति/राजस्व/2000/4632–40 दिनांक 22.12.2000 से उक्त सहकारी समिति को आवंटित उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि का नामा0 राज्यपक्ष में खुलवाने के आदेश दिया गया। इसके उपरान्त जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक प.12(54)/आई.टी.आई./राजस्व/15/6312–20 दिनांक 6.10.2015 से उक्त भूमि मे से ख0न0 19 रकबा 74.14 बीघा मे से 30 बीघा भूमि गौण मण्डी खण्डार के नवीन मण्डी यार्ड के निर्माण हेतु ग्राम जयसिंहपुरा तहसील खण्डार में कीमतन राशि 1939890.00–/रू मे आवंटित की गयी है। उक्त राशि का चैक संख्या 377704 दिनांक 5.2.2016 से मण्डी समिति के पत्रांक 2168–69 दिनांक 19.2.2016 के जरिये जमा करवायी जा चुकी है। किन्तु उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किये जाने पर कब्जाधारी रामदयाल वगै. द्वारा आदेश दिनांक 22.12.2000 को राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर व कोटा के न्यायालय मे चुनौती दिये जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 22.12.2000 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवायी हेतु इस न्यायालय/कार्यालय को रिमाण्ड किया गया है। श्रीमान के न्यायालय द्वारा सभी प्रार्थीगण को सुनवायी हेतु नोटिस जारी किये जाने पर सभी प्रार्थीगण न्यायालय हाजा मे उपस्थित हुए किन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि उक्त समिति वर्तमान में अस्तित्व है तथा संयुक्त कृषि की जा रही हो। यह तर्क भी दिया कि जिला कलेक्टर के पूर्व आदेश दिनांक 22.12.2000 पारित करने से पूर्व सार्वजनिक सूचना जारी की गयी थी तथा समिति की लीज अवधि समाप्त हो जाने तथा समिति अस्तित्व होने इत्यादि कारणों से आवंटन शर्तो का उल्घंन किये जाने पर ही पारित किया गया जिसमे किसी प्रकार की वैद्यानिक त्रुटि नही होने के कारण प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश दिनांक 22.12.2000 यथावत रखे जाने बाबत निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:46:05 IST
Reason: SelfAttested



जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील उभयपक्षों की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि कृषि सहकारी समिति जयसिंहपुरा तहसील खण्डार को तहसील आवंटन सलाहकार समिति खण्डार द्वारा राजस्थान भू राजस्व सहकारी समितियों को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1959 के अन्तर्गत वर्ष 1959 मे 25 वर्ष की लीज पर ग्राम जयसिंहपुरा स्थिति राजकीय कृषि भूमि ख0न0 6 रकबा 30.13 बीघा ख0न0 16 रकबा 19.13 बीघा, ख0न0 17 रकबा 4.15 बीघा, ख0न0 19 रकबा 74.14 बीघा, ख0न0 32 रकबा 33. 12 बीघा, कुल किता 5 कुल रकबा 163.02 बीघा भूमि संयुक्त रूप से कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी, परन्तु तहसीलदार खण्डार एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ सवाईमाधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार उक्त सहकारी समिति अवासयन मे आ जाने एवं भूमि का उपयोग संयुक्त रूप से सहकारी समिति के रूप मे नही कर सहकारी समिति के सदस्यो द्वारा व्यक्तिगत हित में उपयोग करने बाबत रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त संबंध में सार्वजनिक सूचना संख्या एफ.40(97)सहकारी/राजस्व/2000/ 3050–56 दिनांक 29.8.2000 जारी कर प्रार्थीगणों से आपत्ति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी। परन्तु किसी भी प्रार्थीगण/सोसायटी के सदस्य द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी एवं समिति द्वारा आवंटन शर्तो का उलघंन किया जाना पाये जाने एवं तत्समय एवं वर्तमान में समिति अस्तित्व मे नही होने के कारण जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश क्रमांक प.40(97)सह.समिति/राजस्व/2000/ 4632–40 दिनांक 22.12.2000 से उक्त सहकारी समिति को आवंटित उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया गया तथा इसके उपरान्त जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक प.12(54)/आई.टी.आई./राजस्व/ 15/6312–20 दिनांक 6.10.2015उक्त भूमि मे से ख0न0 19 रकबा 74.14 बीघा मे से 30 बीघा भूमि गौण मण्डी खण्डार के नवीन मण्डी यार्ड के निर्माण हेतु ग्राम जयसिंहपुरा तहसील खण्डार में कीमतन राशि 1939890.00–/रू मे आवंटित की गयी है। उक्त राशि का चैक संख्या 377704 दिनांक 5.2.2016 से मण्डी समिति के पत्रांक 2168–69 दिनांक 19.2.2016 के जरिये जमा करवायी गयी है। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय मे ऐसा कोई साक्ष्य सबूत या दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिसके आधार पर यह माना जा सके कि उक्त समिति वर्तमान मे अस्तित्व है एवं आवंटित भूमि पर संयुक्त कृषि की जा रही है। जहॉ तक प्रार्थीगणों का उक्त भूमि पर वर्तमान में कब्जा होने बाबत किये गये कथन का प्रश्न है तो प्रार्थीगण मात्र अतिक्रमी की श्रेणी मे ही आते है। उक्त भूमि पर अपना खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई अधिकार उनको प्राप्त नही है। अतः जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश क्रमांक प. 40(97)सह.समिति/राजस्व/2000/ 4632–40 दिनांक 22.12.2000 मे कोई विधिक त्रुटि नही होने के कारण किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझता हूँ।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना खारिज किया जाकर जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर आदेश दिनांक 22.12.2000 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:46:05 IST
Reason: SelfAttested